<u>न्यायालय : अति0 सेशन न्यायाधीश, क्रम–1,</u>
<u>जयपुर जिला, जयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : विकास कालेर, आर.जे.एस.
"जिला न्यायाधीश संवर्ग"

फौजदारी अपील संख्या : 02/22 (26/2021)

एन.सी.वी. नं. : 43/22

सी.एन.आर नंबर : RJJD010026682022

1. ग्यारसी पुत्री स्व. श्री भोलू,
2. मोहनी पत्नी श्री बाबूलाल,
3. बबली पत्नी श्री गजानंद,

समस्त निवासी–विशनपुरा चारणवास, तहसील–चौंमू, पुलिस थाना सामोद, जिला–जयपुर।

–अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, जयपुर
2. भींवा पुत्र श्री छोटूराम, निवासी–ग्राम विशनपुरा चारणवास, पुलिस थाना सामोद, तहसील–चौंमू, जिला–जयपुर।

–रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 374 दंड प्रक्रिया संहिता विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.10.2021 द्वारा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौंमू, जयपुर जिला, जयपुर, नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 984/2012 बउनवानी भींवाराम बनाम मोहनी व <u>अन्य अन्तर्गत धारा 451, 323, 506 भादंसं.</u>

<u>उपस्थितिः</u>

1. सर्वश्री मदनलाल बुनकर, राजेन्द्र प्रसाद, विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।
2. श्री गोविन्द सिंह चन्द्रावत, विद्वान अपर लोक अभियोजक,राज्य सरकार की ओर से।
3. सर्वश्री दिनेश टेलर, सुनील कुमार सैनी, विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 की ओर से।

:: निर्णय :: **<u>दिनांकः 04 अगस्त, 2026</u>**

1. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ग्यारसी व अन्य द्वारा यह अपील विद्वान

विचारण न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौंमू, जयपुर जिला, जयपुर, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2021 से व्यथित होकर न्यायालय अति. सैशन न्यायाधीश चौंमू, जयपुर जिला, जयपुर के समक्ष दिनांक 10.11.2021 को पेश की गई, जो कालान्तर में निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी भींवाराम ने दिनांक 21.11.2013 को विचारण न्यायालय के समक्ष एक परिवाद प्रदर्श पी–1 इस आशय का पेश किया कि दिनांक 20.11.2003 की रात्रि करीबन 08.00 बजे अभियुक्तगण मोहनी, बबली व ग्यारसी द्वारा परिवादी के निवास गृह में परिवादी को अकारण ही गाली–गलोच करने पर परिवादी की पत्नी श्रीमती मंगली द्वारा उलाहना दिये जाने पर उक्त अभियुक्तगण द्वारा झगड़े की तैयारी व उद्देश्य के साथ परिवादी के शयन कक्ष में नाजायज व अवैध प्रवेश कर परिवादी की पत्नी को पकड़ कर सभी अभियुक्तगण द्वारा करीबन छः चांटे परिवादी की पत्नी के गालों पर जड़ दिये एवं गाली–गलोंच कर नाना प्रकार की धमकियां दी...... आदि। उक्त परिवाद को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तथा परिवादी पक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध कर बाद बहस प्रसंज्ञान दिनांक 11.12.2012 को अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण श्रीमती मोहनी, श्रीमती बबली व ग्यारसी के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 451, 323, 506 भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.05.2016 को अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 451, 323, 506 भारतीय दंड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण द्वारा उक्त आरोपों को सुन व समझ कर उनसे इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन ने अपने पक्ष समर्थन में गवाह पी.ड.1 भींवाराम, पी.ड. 2 सतीश उर्फ बजरंगलाल, पी.ड. 3 महेन्द्र, पी.ड. 4 मंगली, पी.ड. 5 हरीश के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 परिवाद को प्रदर्शित करवाया गया।

5. विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा 313 दंप्रसं. के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा झूठा फंसाये जाने का कथन किया तथा अभियुक्तगण ने बचाव साक्ष्य में गवाह डी.ड. 1 हंसराज के बयान लेखबद्ध करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में किसी भी दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं करवाया गया।

6. विचारण न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सुनी जाकर अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत 323, 451, 506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में दोषसिद्ध कर दिनांक 04.10.2021 को निम्नानुसार दण्डादेश पारित किया गयाः–

क्र.सं.	धारा	सजा
1	323 भादसं.	06 माह का साधारण कारावास एवं 1000रुपये अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड अतिरिक्त 15 दिवस का साधारण कारावास
2	451 भादसं.	06 माह का साधारण कारावास एवं 1000रुपये अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड अतिरिक्त 15 दिवस का साधारण कारावास
3	506 भादसं.	06 माह का साधारण कारावास एवं 1000रुपये अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड अतिरिक्त 15 दिवस का साधारण कारावास

7. उक्त दोषसिद्धी दिनांक 04.10.2021 से व्यथित होकर हस्तगत अपील अपीलार्थी द्वारा श्रीमान् अति0 सेशन न्यायाधीश, चौमू, जयपुर जिला, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो कालांतर में अंतरित होकर विधि अनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

8. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपील मीमो में अपील का आधार लिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के विपरीत किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष परिवाद में घटना के आशय के सम्बन्ध में कथन अंकित नहीं है। तथाकथित घटना को घटित होते हुए किन–किन व्यक्तियों के द्वारा देखा गया तथा किस अभियुक्त द्वारा किस गाल पर चांटा मारा, ऐसे किसी तथ्य का अंकन परिवाद में नहीं है। घटनास्थल के सम्बन्ध में पत्रावली पर किसी प्रकार का नजरी नक्शा नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर

उपलब्ध साक्ष्य का युक्तियुक्त विश्लेषण नहीं किया गया है। गवाहान के कथनों में विरोधाभास है। अंत में प्रार्थना की कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 04.10.2021 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

9. बहस अपील सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुये तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही विवेचन नहीं करते हुये निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी कर प्रकरण में अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 451, 323, 506 भादंसं. के आरोप में दोषसिद्ध किया है जो दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में अपील स्वीकार फरमायी जाकर अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

10. विद्वान अपर लोक अभियोजक तथा अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट/परिवादी ने समेकित रूप से दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा दिये गये तर्को का विरोध करते हुये विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय व दण्डादेश को सही होना बताया एवं कथन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जावे।

11. उभय पक्षों की बहस पर मनन किया। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन, अवलोकन किया गया। हस्तगत अपील के निर्धारण हेतु इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैः–

> ''आया अपील में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2021 को पारित आलौच्य निर्णय एवं दण्डादेश अपास्त किए जाने योग्य है?''

12. पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि परिवादी भींवाराम द्वारा

विचारण न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रदर्श पी–1 प्रस्तुत किया गया था जिसमें परिवादी ने प्रश्नगत घटना दिनांक 20.11.2003 को रात्रि 08.00 बजे के लगभग घटित होना बताते हुए कथन अंकित किया है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के निवास गृह में अकारण ही उसे गाली–गलोच करने पर उसकी (परिवादी) पत्नी मंगली द्वारा उलाहना दिये जाने पर अभियुक्तगण ने परिवादी के शयनकक्ष में नाजायज व अवैध प्रवेश कर परिवादी की पत्नी को पकड़ लिया तथा सभी अभियुक्तगण द्वारा करीबन छः चांटे परिवादी की पत्नी के गालों पर जड़ दिये एवं गाली–गलोच कर नाना प्रकार की धमकियां दी गईं।

13. प्रश्नगत घटना बाबत परिवाद प्रदर्श पी–1 में दर्ज उपरोक्त तथ्यों के समर्थन में परिवादी भींवाराम विचारण न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह पी.ड. 1 परीक्षित हुआ जिसने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र प्रदर्श पी–1 के रूप में प्रदर्शित करवाते हुए सशपथ कथन किया है कि दिनांक 20.11.2003 को सायं 08.00 बजे की बात है। उस समय मोहनी, बबली व ग्यारसी बिना किसी बात के अवैध रूप से उसके घर में आकर गाली–गलोच करने लगी। उसकी पत्नी मंगली देवी द्वारा उनको उलाहना दिया गया कि गाली–गलोच क्यों निकाल रही हो तो तीनों औरतें वहां घुस गई, जहां उसकी पत्नी बैठी थी तथा उसकी पत्नी के 6–7 चांटे मार दिये और धमकी दी कि गुवाड़ी छोड़कर चली जाओ। प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि रात के 08.00 बजे की बात है, उस समय अंधेरा था और चिमनी की रोशनी हो रही थी। गुवाड़ी की जमीन उसकी स्वयं की है जिसका पट्टा उसके नाम का है। जब कहासुनी हुई तब उसके घर वाले तथा वह स्वयं भी मौके पर थे। जिस कमरे में घटना हुई, वह पूर्व दिशा में झांकता हुआ है। कहासनुी पांच मिनट भी नहीं चली। वह उसकी पत्नी से 10 फीट की दूरी पर था। उसकी पत्नी के सबसे पहले मोहनी ने चांटे मारे। तीनों ने मिलकर 6–7 चांटे मारे थे। उसने उनका बीच–बचाव नहीं कराया, न ही छुडवाया। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त साक्षी जो पीड़िता मंगली का पति है, ने मौके पर स्वयं का उपस्थित होना बताते हुए घटना के दौरान

स्वयं द्वारा बीच–बचाव किया जाना तथा अपनी पत्नी को अभियुक्तगण से मौके पर छुडवाने के तथ्य से इंकार किया है जबकि वह मौके पर अपनी पत्नी से मात्र 10 फीट की दूरी पर था। इस प्रकार परिवादी जो बरवक्त घटना मौके पर मौजूद था तथा उसकी पत्नी के साथ अभियुक्तगण द्वारा थप्पड़ों से मारपीट की जा रही थी, इसके बावजूद परिवादी द्वारा अपनी पत्नी को अभियुक्तगण से नहीं छुड़वाना अत्यन्त ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रतीत होता है, विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जब अभियुक्तगण महिलाएं थी तथा उनके पास ऐसा कोई हथियार भी नहीं था जिससे परिवादी को यह भय हो कि यदि वह अपनी पत्नी को अभियुक्तगण से छुडवाने जाएगा तो उसकी भी जान को खतरा हो सकता है।

14. प्रश्नगत घटना के स्वतंत्र साक्षी के बतौर गवाह पी.ड. 2 सतीश उर्फ बजरंगलाल परीक्षित हुआ है जिसने अपने सशपथ बयानों में बरवक्त घटना स्वयं को परिवादी भींवाराम के घर के चौक में बैठा होना बताते हुए कथन किया है कि तीनों औरतें आईं व भींवाराम की पत्नी के साथ गाली–गलोच करने लगी। इन तीनों औरतों ने अवैध रूप से भींवाराम की पत्नी के कमरे में घुसकर उसके साथ मारपीट करते हुए 6–7 थप्पड़ मारे। इस प्रकार मुख्य परीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने स्वयं को बरवक्त घटना मौके पर मौजूद होना बताया है परन्तु प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त साक्षी अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को स्वीकार करता है कि वह ईटावा भोप जी ग्राम का रहने वाला है अर्थात् स्वीकृत रूप से उक्त साक्षी परिवादी पक्ष का परिवारिक सदस्य अथवा पड़ौसी न होकर किसी अन्य ग्राम का निवासी है तथा मौके पर स्वयं का मौजूद होना बताता है जबकि स्वयं परिवादी पी.ड. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि जब कहासुनी हुई तब वह स्वयं तथा उसके घर वाले ही मौके पर मौजूद थे। इस प्रकार प्रथम दृष्टया ही उक्त साक्षी पी.ड. 2 की मौके पर उपस्थिति संदेहास्पद हो जाती है।

15. इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि कहासुनी उसके सामने नहीं हुई जबकि परिवादी भींवाराम बतौर गवाह पी.ड. 1 अभियुक्तगण द्वारा मौके पर पहले गाली–गलोच करना बताता है। उक्त साक्षी

पी.ड. 2 द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथनानुसार तीन औरतों ने भींवाराम की पत्नी के साथ गाली–गलोच की जबकि परिवादी पी.ड. 1 अपने परिवाद प्रदर्श पी–1 में कथन अंकित करता है कि अभियुक्तगण ने परिवादी के साथ अकारण गाली–गलोच की जिस पर परिवादी की पत्नी द्वारा अभियुक्तगण को उलाहना देने पर प्रश्नगत मारपीट की घटना कारित की गई। इस प्रकार मौके पर पीड़िता के साथ मारपीट किये जाने से पूर्व गाली–गलोच के तथ्य बाबत् भी गवाहान पी.ड. 1 व पी.ड. 2 के कथनों में विरोधाभास है जिसका कोई स्पष्टीकरण परिवादी पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका है। उक्त साक्षी पी.ड. 2 ने मारपीट की घटना दो मिनट तक चलना बताते हुए कथन किया है कि तीनों अभियुक्तगण आईं और कमरे में जाकर चांटे मारकर चली गईं।

16. परिवादी पी.ड. 1 तथा उक्त साक्षी पी.ड. 2 के कथनानुसार अभियुक्तगण द्वारा कमरे में घुसकर परिवादी की पत्नी के साथ मारपीट की गई परन्तु इस संदर्भ में मौके के अन्य गवाह पी.ड. 3 महेन्द्र की साक्ष्य पर गौर करें तो उक्त साक्षी ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि बरवक्त घटना वह तथा उसका भाई खाना खा रहे थे। दिनांक 20.11.2003 को समय रात्रि 08.00 बजे की बात है। उसके घर पर मोहनी, बबली तथा ग्यारसी आईं तथा गाली–गलोच करने लग गईं। उसकी माताजी बाहर गई और गाली–गलोच के लिए मना किया, तब तीनों ने उसकी माता को पकड़ लिया व पिटाई की। इस प्रकार स्वयं परिवादी पक्ष ने उक्त साक्षी पी.ड. 3 महेन्द्र को बरवक्त घटना मौके पर मौजूद होना बताया है परन्तु उक्त साक्षी अपने बयानों में अपनी माता/पीड़िता के साथ मारपीट की घटना किसी कमरे में होना न बताकर बाहर घटित होना बताता है। साथ ही उक्त साक्षी यह भी कथन करता है कि आवाजें सुनकर वह बाहर आया। अभियुक्तगण औरतें होने के कारण वह कुछ नहीं बोला। इस प्रकार मौके पर मौजूद गवाह पी.ड.1 जो पीड़िता का पति है, पी.ड. 2 जो भी स्वयं को मौके पर मौजूद होना बताता है तथा पी.ड. 3 जो कि पीड़िता का पुत्र है, परन्तु किसी भी साक्षी द्वारा पीड़िता को अभियुक्तगण से छुड़वाने के लिए मौके पर कोई प्रयास न करना प्रश्नगत घटना घटित होने के तथ्य बाबत किसी

भी सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के विवेक को स्पर्श नहीं करता है।

17. अब यदि उक्त साक्षी पी.ड.3 की प्रतिपरीक्षा पर भी गौर करें तो उक्त साक्षी ने कथन किया है कि उसने मारपीट होते हुए नहीं देखी कि सबसे पहले किसने मारा। साथ ही उक्त साक्षी यह भी कथन करता है कि जिस कमरे में उसकी माताजी बैठी हुई थी, उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर खुलता हुआ है। पी.ड. 3 के उक्त कथनों से यदि पीड़िता के साथ कमरे के अंदर मारपीट की घटना घटित होना मान भी लिया जाए तो उक्त साक्षी पी.ड.3 के कथनानुसार मारपीट की घटना जिस कमरे में हुई, वह उत्तरमुखी था जबकि परिवादी पी.ड. 1 के कथनानुसार जिस कमरे में घटना हुई, वह पूर्वमुखी था।

18. यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है कि प्रकरण में नक्शा मौका हालात मौका बाबत् कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत घटना जिस कमरे में घटित हुई, उसकी वस्तुस्थिति बाबत् चश्मदीद गवाहान पी.ड. 1 व पी.ड. 3 के कथनों में विरोधाभास होना निश्चित रूप से परिवादी पक्ष की कहानी को संदेहास्पद बनाता है।

19. उक्त साक्षी पी.ड. 3 ने कथन किया है कि कहासुनी 15 मिनट तक चली थी। इस प्रकार प्रश्नगत घटना घटित होने की समयावधि बाबत भी सभी गवाहान भिन्न–भिन्न कथन करते हैं जिसमें परिवादी पी.ड. 1 ने प्रश्नगत घटना घटित होने की समयावधि 5 मिनट, गवाह पी.ड. 2 ने 2 मिनट तथा पी.ड. 3 ने 15 मिनट बताई है जिस विरोधाभास बाबत भी परिवादी पक्ष ने कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है।

20. घटना की पीड़िता मंगली बतौर गवाह पी.ड. 4 परीक्षित हुई है जिसने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि करीब 16 साल पहले सायं के 08.00 बजे ग्यारसी, मोहनी व बबली गाली–गलोच करते हुए एक राय होकर सीधे उसके कमरे में घुस गई। उसके साथ गाली–गलोच की व 5–7 थप्पड़ मारे। उसके हल्ला करते ही उसके बच्चे जो नजदीक ही कमरे में खाना खा रहे थे, उसके पास आये। उसके पति चौक में किसी एक अन्य व्यक्ति के साथ बैठे हुए थे, जिन सभी ने औरतों से कहा कि गाली–गलोच और मारपीट क्यों कर रही

हो। इस प्रकार पीड़िता ने यद्यपि तीनों अभियुक्तगण द्वारा कमरे में घुसकर थप्पड़ों से मारपीट करना बताया है परन्तु साथ ही कथन किया है कि उसके घ ार के चौक में उसके पति व एक अन्य व्यक्ति बैठे हुए थे। न्यायालय के मत में अभियुक्तगण द्वारा गाली–गलोच करते हुए घर में घुसना तथा पीड़िता के साथ मारपीट करने के लिए चौक से होते हुए कमरे में घुस जाना परन्तु परिवादी व उसके साथ बैठे व्यक्ति के द्वारा अभियुक्तगण को न रोकने का तथ्य प्रश्नगत घ टना को संदेहास्पद बना देता है। उपरोक्तानुसार समस्त अभियोजन साक्षीगण ने कथन किया है कि उन्हें पता नहीं कि किस अभियुक्त ने पीड़िता के कितने थप्पड़ मारे। ऐसी परिस्थिति में पीड़िता के लिए यह आवश्यक था कि वह विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्येक अभियुक्त के संदर्भ में कथन करती कि किस अभियुक्त ने उसके किस अंग पर चोट मारी परन्तु उक्त साक्षिया ने अपनी साक्ष्य में ऐसा केई कथन नहीं किया है कि किस अभियुक्त ने कहां मारा बल्कि उक्त साक्षिया ने अभियुक्तगण द्वारा सीधे कमरे में घुसकर मारपीट करना बताया है जबकि पी. ड.1 तथा गवाह पी.ड. 3 ने अभियुक्तगण द्वारा घटना से पूर्व परिवादी के साथ गाली–गलोच करना एवं उक्त गाली–गलोच बाबत पीड़िता द्वारा उलाहना देने पर अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट करना बताया है जो तथ्य भी परिवादी पक्ष के गवाहान के कथनों में विरोधाभास को प्रकट करता है।

21. घटना बाबत अन्य गवाह पी.ड. 5 हरीश कथन करता है कि करीब 13 साल पहले सायं 08.00 बजे की बात है। वह तथा उसका भाई कमरे में बैठकर खाना खा रहे थे तब बबली, मोहनी व ग्यारसी एक राय होकर गाली–गलोच करते हुए उसकी माताजी के कमरे में घुस गईं तथा मारपीट करने लगी। उक्त साक्षी पी.ड. 5 ने बरवक्त घटना भाई को भी स्वयं के साथ खाना खा रहा होना बताया है परन्तु उक्त साक्षी का भाई पी.ड. 3 महेन्द्र ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि प्रश्नगत घटना कमरे में घटित हुई हो बल्कि उक्त साक्षी ने अपनी माता का बाहर आने पर तथा अभियुक्तगण को गाली–गलोच के लिए मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा उसकी माताजी को पकड़कर पीटना बताया है। इस प्रकार प्रश्नगत घटना के घटनास्थल बाबत परिवादी पक्ष द्वारा परीक्षित

कराये गये गवाहान के कथनों में विरोधाभास प्रकट हुआ है।

22. आपराधिक प्रकरण में अभियोजन/परिवादी पक्ष को मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है परन्तु परिवादी पक्ष द्वारा परीक्षित करवाए गए गवाहान के कथनों में घटना बाबत महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रकट हुआ है जिसका कोई स्पष्टीकरण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संबंध में सन्देहास्पद परिस्थितियां प्रकट हुयी, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने इन सन्देहास्पद परिस्थितियों पर विचार नहीं किया। परिवादी पक्ष अपना मामला विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा 451, 323 व 506 भारतीय दंड संहिता के आरोपों में दोषसिद्ध करना न्यायोचित नहीं पाया जाता है। लिहाजा, विद्वान विचारण न्यायालय का अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 451, 323 व 506 भारतीय दंड संहिता के आरोपों में दोषसिद्धी का निर्णय दिनांक 04.10.2021 अपास्त किये जाने व अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

23. अतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ग्यारसी व अन्य की ओर से प्रस्तुत यह दाण्डिक अपील विरूद्ध प्रत्यर्थीगण स्वीकार की जाकर विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौंमू, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा मूल दाण्डिक प्रकरण संख्या–984/2012, बउनवानी राजस्थान राज्य बनाम मोहिनी व अन्य में दिनांक 04.10.2021 को अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 451, 323 व 506 भारतीय दंड संहिता के अपराध के अंतर्गत किये गये दोषसिद्धि के निष्कर्ष को अपास्त किया जाकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 451, 323 व 506 भारतीय दंड संहिता से दोषमुक्त किया जाता है।

14. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के इस न्यायालय में उपस्थिति बाबत पेश किये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

24. प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह भारतीय

नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 481 के प्रावधानों के अन्तर्गत बीस हजार रूपये का मुचलका व इसी कदर राशि की एक जमानत इस आशय की पेश करे कि इस निर्णय के विरूद्व अपील/याचिका होने पर एवं उसको नोटिस प्राप्त होने पर वह माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात हो जाएगा।

25. इस निर्णय की सत्य प्रति सहित विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौंमू, जयपुर जिला, जयपुर की दाण्डिक पत्रावली संख्या संख्या–984/2012, बउनवानी राजस्थान राज्य बनाम मोहिनी व अन्य अविलम्ब विचारण न्यायालय को लौटायी जावे।

(विकास कालेर)
अति. सेशन न्यायाधीश, क्रम–1,
जयपुर जिला, जयपुर।

26. यह निर्णय आज दिनांक 04 अगस्त, 2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(विकास कालेर)
अति.सेशन न्यायाधीश, क्रम–1,
जयपुर जिला, जयपुर।